तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चन्द्रशेखर बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार तिंवरी) सू.अ.अ. अपील संख्या 170 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चन्द्रशेखर पुत्र सोमदान पता पुलिस थाना कालन्द्री जिला सिरोई ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.09.17.2017 में उसके द्वारा (1) भू.अ. जैलू गगाड़ी की टीम ने आबादी क्षेत्र नेरवा चारणान का सीमाज्ञान किया गया था जिसकी मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा व सिमाज्ञान कर सीमाओं पर पिलर लगाकर चिन्हित की या नहीं व सीमा ज्ञान में नाप की कौनसी पद्धति काम में ली / क्या जरीब / जीपीएस व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिंवरी) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार तिवरी) से जरिये पत्रांक 249 दिनांक 14.11.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 171 दिनांक 26.09.17 के जरिये भिजवाई गई। अपीलार्थीपक्ष ने लिखित बहस (अपील सं. 168 / 17 में संलग्न है) में बतलाया कि दिनांक 13.11.2017 से पूर्व प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसील कार्यालय से किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार या सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है व उस पर पूर्व के जावक क्रमांक लगाकर पहले दिनांक में डिस्पेच की है। जो सूचना चाही गई वो अधुरी व पूरी नहीं भेजी है, परन्तु अधुरी सूचना किस प्रकार है उसका इस प्रकरण से संबंधित कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने बिन्दुवार सूचना से संबंधित तथ्यों से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	